

प्रेस-विज्ञप्ति
रौनापार-आजमगढ़

बकरी चोरी के अभियोग में 02 अभियुक्त/बाल अपचारी गिरफ्तार

वादी मुकदमा श्री सहातम यादव पुत्र बाढ़ू यादव सा0 करमपुर पो0 रसूलपुर नन्दलाल थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 170/2021 धारा 379/411 भादवि बनाम दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सगड़ी सगड़ी व थाना प्रभारी थाना रौनापार के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह कर्मचारी द्वारा आज दिनांक 23.09.2021 को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त/बाल अपचारी को चाँदपट्टी तिराहा के पास से समय करीब 08.35 बजे अभियुक्त (1) शुभम पाण्डेय पुत्र सुरेन्द्र पाण्डेय सा0 खोजौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष व बाल अपचारी (2) चन्दन कुमार पुत्र सुमेर सा0 तवक्लपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 15 वर्ष 06 माह 21 दिन को पकड़ा गया जिसके पास से एक चोरी की गई बकरी बरामद हुई जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 170/2021 धारा 379/411 पंजीकृत किया गया था जिसमें अभियुक्त/बाल अपचारी का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 170/21 धारा 379/411 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त/बाल अपचारी का नाम व पता:-

1. **अभियुक्त** शुभम पाण्डेय पुत्र सुरेन्द्र पाण्डेय सा0 खोजौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष
2. **बाल अपचारी** चन्दन कुमार पुत्र सुमेर सा0 तवक्लपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 15 वर्ष 06 माह 21 दिन

बरामदगी-

1 एक चोरी की हुई बकरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 रामनिवास यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़